

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

--: मंत्रालय :-

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// कार्यालयीन आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/09/2020

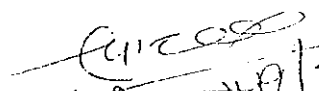
क्रमांक 596 / F-2014-04-00769 / ब-4 / चार :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों की अवकाश अवधि में शासकीय कार्य को सुचारु रूप से संपादित किये जाने हेतु जारी समस्त लिंक अधिकारी संबंधित आदेश को अधिकमित करते हुए अधिकारियों के नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में अंकित अधिकारियों को लिंक अधिकारी नामांकित किया जाता है :-

क्र	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक अधिकारी	प्रथम लिंक अधिकारी की अनुपस्थिति में द्वितीय लिंक अधिकारी
1	2	3	4
1	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	श्री सतीश पाण्डेय	श्रीमती शारदा वर्मा
2	श्री सतीश पाण्डेय	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	श्री अतीश पाण्डेय
3	श्रीमती शारदा वर्मा	श्री अतीश पाण्डेय	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
4	श्री अतीश पाण्डेय	श्रीमती शारदा वर्मा	श्री सतीश पाण्डेय
5	डॉ. ए.के. सिंह	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का
6	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	डॉ. ए.के. सिंह	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
7	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	डॉ. ए.के. सिंह
8	श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्री राजेश कुमार सिसोदिया
9	श्री अरविद कुजूर	श्री मनोज तिवारी	श्री आनन्द मिश्रा
10	श्री मनोज तिवारी	श्री शरद परसाई	श्री ऋषभ पाराशर
11	श्री ऋषभ पाराशर	श्री आनन्द मिश्रा	श्री मनोज तिवारी
12	श्री आनन्द मिश्रा	श्री ऋषभ पाराशर	श्री अरविद कुजूर
13	श्री राजशेखर शर्मा	श्री सीताराम तिवारी	श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र
14	श्री सीताराम तिवारी	श्री राजशेखर शर्मा	सुश्री हिमशिखा साहू
15	श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र	सुश्री हिमशिखा साहू	श्री शरद परसाई
16	सुश्री हिमशिखा साहू	श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र	श्री राजशेखर शर्मा
17	श्री शरद परसाई	अरविद कुजूर	श्री सीताराम तिवारी

2- वित्त विभाग में पदस्थ समस्त अधिकारी अवकाश में जाने के पूर्व अपने लिंक अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा कर सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवकाश अवधि में प्रथम लिंक अधिकारी एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अवकाश में तो नहीं है अथवा जा रहे हैं।

3- उक्त लिंक अधिकारी, संबंधित अधिकारी के अवकाश/भ्रमण की अवधि में नस्त्रियों का निराकरण करेंगे तथा संबंधित अधिकारी अवकाश पर जाते समय अपने लिंक अधिकारी को कार्य/नस्त्रियों के बारे में आवश्यक जानकारी देने के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

4- उक्त आदेश किसी भी अधिकारी के अन्यत्र स्थानांतरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर नवीन पदस्थापना तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील होगा।

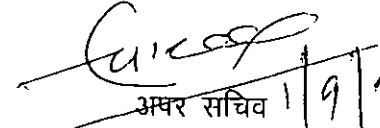

--(सतीश पाण्डेय)--

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 597/F-2014-04-00769/ब-4/चार,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 01/09/2020

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय,
 2. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
 3. विशेष सचिव, वित्त /अपर सचिव, वित्त के निज सहायक
 4. संचालक, बजट/संयुक्त सचिव/उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
 5. अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
 6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
- की ओर सूचनार्थ।


अपर सचिव 1/9/20
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग